<u>न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–1334/2025
(CNR N0 01016620-2025)

विरेन्द्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता मालिक फर्म मैसर्स रवि प्लाई एवं मार्बल शाकुम्बरी रोड बेहट सहारनपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. विकेश कुमार तत्कालीन मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बेहट थाना बेहट जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

<u>राष्ट्रीय लोक अदालत</u>

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 7क अन्तर्गत धारा–5 भ0परिसीमाअधिनियम</u>
<u>14.03.2025</u>

पत्रावली आज लोक अदालत में निस्तारण हेत पेश हुई।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने निगरानी निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है

प्रार्थनापत्र में अभिकथन किया गया है कि :–

अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं0–7472/19 विरेन्द्र कुमार मलिक बनाम विकेश कुमार पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 की जानकारी आवेदक को दिनांक 01.12.2025 को प्राप्त होने पर उसके द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आक्षेपित आदेश की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। आदेश की प्रति दिनांक 12.12.2025 को प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से निगरानी तैयार कराके दिनांक 15.12.2025 यह निगरानी योजित की गयी। आवेदक की यह भी कथन किया गया है कि जेरे इलाज होने के कारण वह बीच बीच में मामले में विपक्षी के विरूद्ध पैरवी भी नहीं कर पाया तथा प्रार्थनापत्र योजित किये जाने के समय भी उसका उपचार जौली ग्रान्ट अस्पताल से चल रहा है। आवेदक द्वारा निगरानी योजित करने में जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त आधार पर निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी हे। प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वॅय का शपथ पत्र कागज सं0–8ख प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी सं0 2 के विरूद्ध नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से इस मामले में कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 के द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया परन्तु प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में सहमति व्यक्त की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/निगरानीकर्ता विरेन्द्र कुमार मलिक द्वारा विपक्षी विकेश कुमार के विरूद्ध योजित परिवाद सं0–7472/2019 विरेन्द्र कुमार बनाम विकेश कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 30.05.2025 जिसके माध्यम से निगरानीकर्ता के उक्त परिवाद धारा–204(4) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत निरस्त किया गया है के विरूद्ध जेरे इलाज होने के कारण वह समय सीमा में निगरानी योजित नहीं कर सका है तथा निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा

करने के लिए धारा–5 मियाद अधि0 के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या के अनुसार प्रस्तावित दाण्डिक निगरानी मियाद अवधि के उपरान्त **110 दिन** के विलम्ब से योजित की गयी है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र में प्रस्तावित निगरानी संस्थित करने में हुए विलम्ब का कारण शहर से बाहर होना अभिकथित किया गया है। विद्वान जिला शाासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में सहमति व्यक्त की गयी है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निर्णय विधि **सैनिक सिक्यूरिटी प्रति शीला बाई 2008(78) ए.एल.आर. पेज–302, स्टेट ऑफ नागालैण्ड प्रति ए0ओ0लिपाक 2005 (52) ए.सी.सी. पेज–788 तथा पूनम एवं अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011(4) ए.सी.सी.डी पेज–2125** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–5 भारतीय परिसीमा अधि0 के अन्तग्रत विलम्ब को क्षमा किये जाने के प्रश्न पर अवधारणा करते समय न्यायालय को कठोर, तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अपितु व्यावहारिक परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तकनीकी न्याय पर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो तथा वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा मामले के गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदक का प्रार्थनापत्र 7क अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7क प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम तदनुसार अंकन–500/रू0(पॉच सौ रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा अन्दर दस दिन अदा किया जाये। बाद हर्जा अदायगी प्रस्तावित निगरानी, अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 01.04.2028 को पेश हो।

दिनांक 14.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।
I.D. UP-1891